



BULANDSHAHR POLICE



दिनांक- 14 जुलाई, 2024

थाना स्याना

03 शातिर चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किया गया सामान बरामद

जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 13/14-07-2024 की रात्रि में थाना स्याना पुलिस द्वारा एक अभिसूचना के आधार पर ग्राम बैराफिरोजपुर के जंगल से 03 शातिर चोर को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही से चोरी किया गया सामान बरामद किया गया। अभियुक्तों की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना स्याना पर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता-

1. विशाल उर्फ जौनी पुत्र सुन्दर निवासी ग्राम बैराफिरोजपुर थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
2. ज्ञानी उर्फ जतिन पुत्र जगनी निवासी उपरोक्त।
3. प्रमोद पुत्र चुन्नी निवासी उपरोक्त।

बरामदगी का विवरण:-

1. 01 फ्रिज
2. 01 इन्वर्टर
3. 01 बैटरा
4. 01 गैस सिलेण्डर
5. 02 मोबाइल फोन

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 14.04.2024 को थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम थलइलनायतपुर में घर में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं- 249/24 धारा 380 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा दिनांक 04.07.2024 को थाना स्याना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम बैराफिरोजपुर स्वास्थ्य केन्द्र में चोरी करने की घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में थाना स्याना पर मुअसं- 272/24 धारा 457/380 भादवि पंजीकृत है।

गिरफ्तार अभियुक्त विशाल उर्फ जौनी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 432/17 धारा 363/366 भादवि व 7/8 पोक्सो एक्ट थाना आदमपुर जनपद अमरोहा।
4. मुअसं- 249/24 धारा 380/411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 272/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त ज्ञानी उर्फ जतिन का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 2732/19 धारा 411 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
2. मुअसं- 2733/19 धारा 413/414 भादवि थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
3. मुअसं- 2734/19 धारा 25 शस्त्र अधि० थाना इन्द्रापुरम गाजियाबाद
4. मुअसं- 249/24 धारा 380/411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
5. मुअसं- 272/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार अभियुक्त प्रमोद पुत्र चुन्नी का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं- 249/24 धारा 380/411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं- 272/24 धारा 457/380/411 भादवि थाना स्याना जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. श्री शैलेन्द्र प्रताप सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना स्याना
2. उ०नि० सुखपाल सिंह, उ०नि० रामेश्वर दयाल शर्मा, उ०नि० यू०टी० साहिल प्रताप सिंह
3. है०का० बिजेन्द्र सिंह, का० नरेन्द्र कुमार



मीडिया सेल, बुलंदशहर